सं. 010/सीआरडी/003
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन
जी.पी.ओ. काम्प्लैक्स, ब्लाक-ए
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दिनांक : 23 जून, 2010

परिपत्र संख्या 22/06/10

विषय : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्टों पर अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करने में विलंब पर नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश संबंधी ।

विनीत नारायण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में, अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदनों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर एक निर्णय लिया जाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों के संबंध में एक माह के अतिरिक्त समय की अनुमति है जिनमें अटार्नी जनरल अथवा अटार्नी जनरल के कार्यालय में किसी अन्य विधि अधिकारी से पूर्व परामर्श लेना आवश्यक है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निदेश दिया था कि अभियोजन की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चलाए गए मामलों की प्रगति की आयोग समीक्षा करेगा, विशेषकर उन मामलों में जिनमें स्वीकृति देने में विलंब किया गया है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 भी आयोग के कार्यों एवं शक्तियों से संबंधित धारा 8(1)(च) के अंतर्गत अनुबद्ध करता है कि आयोग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करे । आयोग ने अपने कार्यों का निष्पादन करते समय यह देखा है कि संबंधित सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी, अभियोजन की स्वीकृति हेतु सिफारिश किए गए मामलों पर अपनी राय देने में बहुत लंबा समय ले रहे हैं ।

2. जैसा कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित है, अभियोजन की स्वीकृति मांगने का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अनुरोध प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर मंत्रालय/विभाग अपना अंतरिम दृष्टिकोण प्रतिपादित करें तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह लें । मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपर्युक्त समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है । अभियोजन की स्वीकृति के लिए मामलों पर समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की है ।

3. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ मामलों में संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण मांगते हैं । यह भी विलंब का एक कारण है । अत:, यह दोहराया जाता है कि ऐसे स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने में लिए गए समय को शामिल करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए ।

ह0/-

(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सेवा में

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
सभी सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त संगठनों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो